अनुबंध I
(पैराग्राफ संदर्भ:1.2)
पर्यावरण अनापत्ति देने की प्रक्रिया, चरण और समयसीमा

सभी मामलों में आवेदक द्वारा स्थान पर कोई निर्माण कार्यकलाप अथवा भूमि की तैयारी आरम्भ करने से पूर्व ईसी मांगते हुए एक आवेदन परियोजना और/ अथवा कार्यकलापों, जो आवेदन से संबन्धित है, के लिए संभावित स्थान (नों) की पहचान करने के बाद निर्धारित फार्म 1 और पूरक फार्म 1 क, यदि लागू हो[32], में किया जाना है। आवेदक को आवेदन के साथ पूर्व व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट अथवा प्रत्ययात्मक योजना, जो लागू हो, की एक प्रति भेजनी पड़ती है।

ईसी प्रक्रिया में अधिकतम चार चरण शामिल है। जिनमें से सभी एक विशेष मामलों को लागू नहीं हो सकते है। ये चार चरण अनुक्रमिक क्रम में होंगे। चरण 1: छानबीन (केवल श्रेणी 'ख' परियोजनाओं तथा कार्यकलापों के लिए), चरण 2: कार्यक्षेत्र निर्धारण, चरण 3: लोक परामर्श तथा चरण 4: मूल्यांकन।

चरण 1: छानबीन

श्रेणी 'ख' परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के मामले में यह चरण परियोजना की प्रकृति और स्थान विशेष पर निर्भर ईसी देने से पूर्व इसके मूल्यांकन के लिए ईआईए की तैयारी के लिए यह सुनिश्चित करने कि क्या परियोजना अथवा कार्यकलाप आगे पर्यावर्णीय अध्ययनों कि अपेक्षा करना है अथवा नहीं, के लिए संबन्धित एसईएससी द्वारा फार्म 1 में पूर्व ईसी मांगने के लिए किए गए आवेदन की संवीक्षा को अनिवार्य बनाता है। ईआईए रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाएं श्रेणी ख 1 कही जाती है और शेष परियोजनाएं श्रेणी ख 2 कही जाती है और ईआईए रिपोर्ट की अपेक्षा नहीं करते है। ख 1 और ख2 में परियोजनाओं के वर्गिकरण हेतु एमओईएफएण्डसीसी समय-समय पर उचित मार्ग निर्देश जारी करता है।

चरण 2: कार्यक्षेत्र निर्धारण

कार्यक्षेत्र निर्धारण उस प्रक्रिया को कहते है जिसके द्वारा परियोजना अथवा कार्यकलाप जिसको ईसी मांगा जाता है, के संबंध में ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान कर श्रेणी 'ए'/ 'बी' परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों[33] के मामले में क्रमश: ईएसीज/ एसईएसीज विस्तृत तथा व्यापक विचारणीय विषय (टीओआर) निर्धारित करते है। संबन्धित ईसी/एसईएसी आवेदक द्वारा प्रस्तावित/

---

[32] भवन निर्माण परियोजना के लिए

[33] वर्तमान परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के उत्पाद मिश्र मेंन विस्तार और/ अथवा आधुनिकीकरण और/ अथवा परिवर्तन के आवेदनों सहित

सूचित टीओआर सहित निर्धारित आवेदन फार्म1/ फार्म 1 क में भेजी सूचना संबन्धित ईसी/ एसईएसी के उपसमूह (केवल यदि संबन्धित ईएसी/ एसईएसी द्वारा आवश्यक माना जाए) कार्य स्थल दौरे और अन्य सूचना जो संबन्धित ईएसी/ एसईएसी के पास उपलब्ध की जाए के आधार पर टीओआर निर्धारित करता है।

अनुसूची की मद 8 में श्रेणी बी के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाएं तथा कार्यकलाप (निर्माण/ टाउनशिप/ व्यापारिक परिसर/ हाउसिंग) कार्यक्षेत्र निर्धारण की अपेक्षा नहीं करते है और फार्म 1/ फार्म 1 क तथा प्रत्ययात्मक योजना के आधार पर मूल्यांकन किए जाते है।

फार्म1 की प्राप्ति के साठ दिनों के अंदर यथा संबन्धित ईएसी/ एसईएसी द्वारा आवेदक को टीओआर सूचित किया जाना है। अनुमोदित टीओआर एमओईएफएण्डसीसी तथा संबन्धित एसईआईएए की वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

चरण 3: लोक परामर्श

लोक परामर्श वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थानीय व्यक्तियों तथा अन्यो, जो परियोजना अथवा कार्यकलाप के पर्यावरणीय प्रभावों में कपटपूर्ण पण रखते है, की चिंताएँ परियोजना अथवा कार्यकलाप डिजाइन, जो उचित हो, में सभी भौतिक चिंताओं को ध्यान में रखकर अभिसुनिश्चित की जानी है।सभी श्रेणी क और श्रेणी ख 1 परियोजनाओं या गतिविधियों (कुछ को छोड़कर पैरा 7 (i), उप-पैरा III, ईआईए अधिसूचना के खंड (i)) सार्वजनिक परामर्श का कार्य।

लोक परामर्श समान्यतया दो संघटक होने होते है जिसमें निम्नलिखित शामिल होते है:

क. कार्यस्थल पर अथवा उसकी गहन निकटता में लोक सुनवाई-जिलावार स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताएँ अभिनिश्चित करने के लिए ईआईए अधिसूचना (2009 संशोधित) के परिशिष्ट IV में निर्धारित रीति में की जानी है, और

ख. परियोजना अथवा कार्यकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कपटपूर्ण पण वाले अन्य संबन्धित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करना।

सभी मामलों में कार्यस्थल (लों) में अथवा गहन निकटता में निर्दिष्ट रीति में संबन्धित एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी द्वारा लोक सुनवाई आयोजित की जानी है और आवेदक इस आशय के अनुरोध के पैतालीस दिनों के अंदर संबन्धित नियामक अधिकारी को कार्रवाई भेजी जानी है। लोक परामर्श की समाप्ति के बाद आवेदक को इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्त की गई सभी भौतिक पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना है और ड्राफ्ट ईआईईए तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में उचित परिवर्तन करना है।

परियोजना अथवा कार्यकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कपटपूर्ण पण वाले अन्य संबन्धित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के लिए संबन्धित नियामक प्राधिकरण तथा एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी लोक सुनवाई का प्रबंधन करने के लिए लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर निर्धारित फार्म में आवेदन की प्रति के साथ आवेदक द्वारा परिशिष्ठ III क में दिए गए प्रपत्र में तैयार संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट अपनी वैबसाइट पर डालकर ऐसे संबन्धित व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित करेंगे।

ऐसे तैयार अंतिम ईआईए रिपोर्ट मूल्यांकन हेतु संबन्धित नियामक प्राधिकरण को आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जानी है। आवेदक लोक परामर्श के दौरान व्यक्त सभी चिंताओं का संबोधित कर ड्राफ्ट ईआईए तथा ईएमसी के लिए वैकल्पिक रूप से पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

चरण 4: मूल्यांकन

मूल्यांकन का अर्थ ईसी की मंजूरी की लिए संबन्धित नियामक प्राधिकरण को आवेदक द्वारा प्रस्तुत, आवेदन तथा अन्य दस्तावेजों जैसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट लोक सुनवाई कार्रवाइयों सहित लोक परामर्शों के परिणाम को ईएसी अथवा एसईएसी यानि निर्धारित शर्तों तथा निबंधनों पर पुर्व ईसी की मंजूरी अथवा उसके लिए कारणों के साथ पूर्व ईसी के लिए आवेदन की अस्वीकरण के लिए संबन्धित नियामक प्राधिकरण को सुस्पष्ट सिफारिशें करनी पड़ती है। अंतिम ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ दिनों के अन्दर संबन्धित ईएसी अथवा एसईएसी को आवेदन का मूल्यांकन पूर्ण किया जाना है। ईएसी अथवा एसईएसी की सिफारिशें अगले पन्द्रह दिनों के अन्दर अंतिम निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। मूल्यांकन की निर्धारित प्रक्रिया ईआईए अधिसूचना के परिशिष्ठ V में दी गई है। नियामक प्राधिकरण को संबन्धित ईएसी तथा एसईएसी की सिफारिशों पर विचार करना पड़ता है और संबन्धित ईएसी अथवा एसईएसी की सिफारिशों की प्राप्ति के पैतालीस दिनों के अन्दर अथवा दूसरे शब्दों में अंतिम ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पाँच दिनों के अन्दर आवेदक को अपना निर्णय सूचित करना पड़ता है।

अनुबंध II

पैराग्राफ संदर्भ :1.9

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1 के लिए नमूना

ईएसी/क्षेत्र	2011	2012	2013	2014	2015[34]	कुल परियोजनाएं	नमूना प्रतिशत	नमूना आकार[35]
कोयला खनन परियोजनाएं	25	25	45	43	39	**177**	20	**45**
औद्योगिकी परियोजनाएं	219	265	233	143	171	**1,031**	5	**47**
अवसंरचना तथा विविध परियोजनाएं एवं सीआरजैड	80	123	102	62	84	**451**	5	**44**
खनन परियोजनाएं (गैर कोयला)	58	69	87	225	89	**528**	10	**45**
नई निर्माण तथा औद्योगिकी सम्पदा परियोजनाएं	63	81	209	108	70	**531**	5	**20**
नदी घाटी तथा जल विधुत परियोजनाएं	11	4	10	3	8	**36**	10 (अधिकतम 1 परियोजना)	**7**
ताप विधुत परियोजनाएं	48	46	15	17	13	**139**	निम्नतम 2[36] परियोजनाएं और अधिकतम 3 परियोजनाएं	**41**
जोड़	**504**	**613**	**701**	**601**	**474**	**2,893**		**249**

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2 के लिए नमूना

ईएसी/क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012	कुल परियोजनाएं	नमूना प्रतिशत	नमूना आकार
कोयला खनन परियोजनाएं	73	60	33	25	25	**216**	20	**43**
औद्योगिकी परियोजनाएं	785	539	295	219	265	**2,103**	5	**118**
अवसंरचना तथा विविध परियोजनाएं एवं सीआरजैड	184	110	99	80	123	**596**	5	**37**

[34] जुलाई 2015 तक

[35] प्रत्येक राज्य के लिए पूर्ण करने के कारण कुल परियोजनाओं का सही प्रतिशत नमूना आकार नहीं है

[36] निम्नतम 2 (जहाँ परियोजना एक से अधिक है)

ईएसी/क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012	कुल परियोजनाएं	नमूना प्रतिशत	नमूना आकार
खनन परियोजनाएं (गैर कोयला)	199	180	85	58	69	**591**	10	**48**
नई निर्माण तथा औद्योगिकी सम्पदा परियोजनाएं	580	252	139	63	81	**1,115**	5	**54**
नदी घाटी तथा जल विधुत परियोजनाएं	11	11	10	11	4	**47**	10 (अधिकतम 1 परियोजना)	**9**
ताप विधुत परियोजनाएं	83	69	75	48	46	**321**	निम्नतम 2[37] परियोजनाएं और निम्नतम 3 परियोजनाएं	**43**
जोड़	**1,915**	**1,221**	**736**	**504**	**613**	**4,989**		**352**

नोट: 352 परियोजनाओं में 16 राज्यों के गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की 22 परियोजनाओं भी शामिल हैं।

[37] निम्नतम 2 (जहाँ परियोजना एक से अधिक है)

अनुबन्ध III

(पैराग्राफ संदर्भ: 1.9)

लेखापरीक्षा सिफारिशों के लिए प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
1.	एमओईएफएंडसीसी डाटाबेस के पुनर्वैधीकरण के लिए एनआईसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करे और उन परियोजनाओं की सही तस्वीर पर पहुँचे जिनको मंत्रालय द्वारा ईसी दिए गए हैं। (पैराग्राफ 2.2)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित आंकड़े एनआईसी द्वारा मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए डाटा से मेल नहीं खाते हैं।	कैलेंडर वर्ष 2008 से 2015 के दौरान क्षेत्रीए परियोजनाओं को एमओईएफ एण्डसीसी द्वारा दिए गए क्षेत्रवार ईसी (जुलाई 2015 तक एमओईईफ एंड सीसी के राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) कक्ष द्वारा दिए गए थे (अगस्त 2015) एमओईएफ एंडसीसी को ईसी प्रदत्त परियोजना के आंकड़ों की पुष्टि करने का बार-बार अनुरोध किया गया। इसके बाबजूद मंत्रालय ने ईसी प्रदत परियोजनाओं के वर्षवार तथा क्षेत्रबार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे। (नवम्बर 2016)
2.	ईसी देने में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफएंडसीसी को ईआईए के अधिसूचना के अनुसार समय सीमा का पालन करने के साथ प्रकियाओं को सरल और कारगर बनाए। (पैराग्राफ 2.3)	मंत्रालय ने ईसी के लिए अनलाइन आवेदन प्रणाली आरम्भ की है जो मूल्यांकन तथा ईसी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में सशक्त सुधार हुआ है। ईसी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए उठाए गए कदमों ने पारदर्शिता, भविष्य सुचकता में वृद्धि की थी और परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावों की खोज को समर्थ किया था। इन कदमों ने राज्यों को अधिक शक्तियाँ भी प्रतयोजित की थीं। जिससे ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्धारित समय	तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि ईसी के संसाधन हेतु लिया गया औसत समय गत दो वर्षों में ऑफलाइन परियोजनाओं के मामले में बढ़ गया है।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
		सीमा का सख्त अनुपालन सुनिशिचित करने के लिए प्राथमिकता पर श्रमशक्ति की कमी का समाधान किया जाना अनावश्यक है।	
3.	एमओईएफएंडसीसी को ईआईए रिपोर्टों की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे टीओआर के अनुसार हैं, सामान्य ढांचे का पालन करती हैं, बेसलाइन डाटा सही है और लोक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। (पैराग्राफ 2.5)	परामर्शदाता ने भी प्रमाणित किया कि ईआईए टीओआर के अनुसार है और इसमें टीओआर में निर्धारित सभी विषय शामिल किए गए है, परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय ईएसी द्वारा उसकी जांच भी की जाती है। कार्यस्थल पर अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं द्वारा बेसलाइन डाटा एकत्र किया जाता है।	मंत्रालय ने ईआईए रिपोर्ट छानबीन करने की प्रक्रियाओं उचित जांच की है। तथापी तथ्य यह शेष रहता है की लेखापरीक्षा में देखी गई कमियाँ हुई हैं।
4.	एमओईएफएंडसीसी कार्यालय ज्ञापनों का सहारा लेने के बजाय, सभी भागीदारों को शामिल करके, कानूनी प्रक्रियायें अपनाकर, ईआईए की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करे और ईआईए अधिसूचना में उचित संशोधन करे। (पैराग्राफ 2.7)	कार्यालय ज्ञापन कार्यालय प्रक्रिया निर्धारित करने और प्रक्रिया अथवा किसी विषय को स्पस्ट करने के लिए जारी किए जाते है जो अधिसूचना में स्पस्ट तथा उल्लिखित नहीं है।	ओएम को मूल ईआईए अधिसूचना के प्रावधानों को तनु नहीं करना चाहिए।
5.	एमओईएफएंडसीसी केवल पिछले ईसी की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करने के बाद ही पीपी को नए सिरे से ईसी प्रदान करें। (पैराग्राफ 2.8)	स्थापित प्रक्रिया कि परियोजना को विसार के लिए आती हैं, की गत निगरानी रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्रस्तुत तथा जांच की जाती है। यदि निगरानी रिपोर्ट और पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है। हाल ही में इसके बारे में स्पस्ट उल्लेख करने के लिए सभी सदस्य सचिवों को एक आदेश जारी किया गया है।	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा उल्लिखित मामलों पर विशेष टिप्पणियाँ नहीं दी थीं। उस तथ्य यह शेष रहता है कि लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरणों का उल्लेखनीय जहां पूर्व ईसी शर्तों के अनुपालन प्रमाणित किए बिना नया ईसी जारी किया गया था।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
6.	एमओईएफएंडसीसी अपने कोयला लिंक्ड खान ताप तथा धातुकर्म परियोजनाओं के ईसी के लिए जारी परिपत्र 2010 का पालन करे ताकि निश्चित कोयला लिंकेज (संधि) उपलब्ध हो और कोयला स्रोतों यानि जुड़ी कोयला खान/कोयला ब्लॉक की पर्यावरण तथा वानिकी मंजूरी ज्ञात हो। (पैराग्राफ 2.9)	किसी विशेष कोयला खान से ऐसा सुस्पष्ट संयोजन अपेक्षित नहीं का, यदि कोयला पीएसयू किसी विशेष खान समूह से कोयला संयोजन निर्धारित करता है। मामले में कोयला का आयात किया गया था, तो परियोजना प्रस्तावक आयात के लिए किए गए एमओयू की जाते फाइल करता है और कि यदि कोयला ई नीलामी में खरीदा जाता है तब भी विशेष संयोजन अपेक्षित नहीं था।	मंत्रालय यह अवश्य सुनिश्चित करे कि पीपी ईसी के अनुसार ब्लॉक/ खान से कोयला का उपयोग करता है।
7.	एमओईएफएंडसीसी समान प्रकार की परियोजनाओं में असमानता से बचने के उद्देश्य से ईसी की शर्ते परियोजना की प्रकृति तथा प्रकार के अनुरुप बनाने पर विचार करे। (पैराग्राफ 2.13)	हमने विचारार्थ विषय को मनकीकृत किया है और प्रक्रिया के लिए समझौता किए बिना मिल विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण शर्तो का मानकीकरण पर विचार किया जा रहा था ।	आगे कोई टिपणी नहीं।
8.	ईआईए रिपोर्टों/ईसी पत्रों में उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा के साथ ईएमपी तथा ईएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों की लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। (पैराग्राफ 3.2 तथा 3.4)	यह पाइंट नोट कर लिया गया है और इस इनपुट पर निर्देश जारी किए जाएंगे।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।
9.	एमओईएफएण्डसीसी पश्च ईसी देने के बाद तीसरी पार्टी से मूल्यांकन के साथ वन/कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र और लगाई जाने वाली प्रजातियों पर ईएमपी/ईसी शर्त (तैं) अधिक विशिष्ट करने पर विचार करें। (पैराग्राफ 3.3)	ईसी में प्रजातियों के प्रकारों के विषय पर अधिक विस्तार में जाना परामर्शी नहीं हो सकता है क्योंकि यह अधिक आदेशात्मक हो जाता है।	मंत्रालय संघनता के साथ हरित पट्टी द्वारा आच्छादित किए जाने वाले क्षेत्र का विशेष उल्लेख करे।
10.	एमओईएफएण्डसीसी भूजल निकालने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड/राज्य एजेंसियों को प्रत्येक	ईसी की एक प्रति भूजल बोर्ड अधिकारियों को भेजी जाएगी।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
	परियोजना पर जारी ईसी पत्र की एक प्रति भेजने पर विचार करें। (पैराग्राफ 3.6)		
11.	एमओईएफएण्डसीसी ईसी में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की सख्ती से समय-समय पर निगरानी के लिए आरओ, सीपीसीबी, एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के समन्वय से रणनीतियाँ बनाएँ। (पैराग्राफ 4.2 से 4.20)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।
12.	एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी परियोजना के ईसी में लगाई शर्तों की निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टों तथा पर्यावरण विवरणों की कुछ प्रतिशत जांच के लिए अनुसूची विकसित करने पर विचार करें। (पैराग्राफ 4.2 से 4.20)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।
13.	एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरणीय प्राचलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावक द्वारा लगाए जाने वाले पद/पदों के नाम तथा संख्या उल्लिखित करने हेतु उचित शर्त लाने पर विचार करें। (पैराग्राफ 5.2)	अनुपालन हेतु सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।
14.	एमओईएफएण्डसीसी निगरानी केन्द्रों के प्रतिष्ठापन और वायु, सतही जल, भूजल, ध्वनि आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों की निगरानी की बारंबारता पर अनिवार्य ईसी शर्तें लाने पर विचार करें। (पैराग्राफ 5.3 तथा 5.4)	परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।	मंत्रालय ईसी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
15.	एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी के परामर्श से पर्यावरणीय प्राचलों की तीसरी पार्टी से परीक्षण को सत्यापित करने के लिए पीपी के परिसर में एसपीसीबी द्वारा आकस्मिक जांच की प्रणाली आरंभ करने पर विचार करे। (पैराग्राफ 5.5)	तीसरी पार्टी जांच पारदर्शिता तथा उद्देश्यता बढ़ाने के लिए आरंभ की गई है क्योंकि एसपीसीबीज तथा सीपीसीबी निगरानी की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है क्योकि एसपीसीबी द्वारा तीसरी पार्टी सत्यापन कराना एक दुष्चक्र पैदा कर सकता है।	मंत्रालय ईसी में लगाई शर्त के अनुसार तीसरी पार्टी द्वारा जांच का सत्यापन कराने का तंत्र विकसित करें क्योंकि तीसरी पार्टी स्वयं पीपीज द्वारा नियुक्त की जाती है और हिंसा का टकराव पैदा करता है।
16.	एमओईएफएण्डसीसी नियमित अंतरालों पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र की कार्ययोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्शी जारी करें। (पैराग्राफ 6.3)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
17.	एमओईएफएण्डसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि अनुपालना रिपोर्टें नियमित रूप से तथा समय से प्राप्त हो और पीपी तथा मंत्रालय द्वारा अपनी वैबसाइटों पर अपलोड की जाएं। (पैराग्राफ 7.3 तथा 7.4)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
18.	एमओईएफएण्डसीसी संबन्धित आरओ में वैज्ञानिकों की अपेक्षित संख्या रखने के लिए शीघ्र उपाय करें। (पैराग्राफ 7.5)	गत दो वर्षों में रिक्तियाँ भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
19.	दोषी पीपी के विरुद्ध कार्र्वाई करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी को आरओ को और अधिकार सौंपकर एक प्रणाली बनानी चाहिए। (पैराग्राफ 7.6)	ईसी शर्तो के अननुपालन के मामलों से निपटने के लिए सिविल मौद्रिक सहित प्रावधान का भिन्न स्तर सम्मिलित करने के लिए अधिनियम में संशोधनों पर विचार किए जा रहे है।	मंत्रालय अधिनियम में उचित संशोधन शामिल करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करें।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
20.	एमओईएफएण्डसीसी में एक प्रणाली होनी चाहिए जहाँ आरओ से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्टों को आरओ के समन्वयन में संकलित किया जाएं और लगातार निगरानी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीपी ईसी की शर्तों का पालन करें और कानून के मुताबिक कर्रवाई करें। (पैराग्राफ 7.8)	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा उल्लिखित मामलों पर विशेष टिप्पणियाँ नहीं दी थीं।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
21.	एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र तथा ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी का उत्तरदायित्व स्पष्टतया सौंपने के तौर तरीके बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करें। (पैराग्राफ 8.2)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
22.	एमओईएफएण्डसीसी परियोजना प्रस्तावों को सीटीई तथा सीटीओ देने के बाद आवधिक निगरानी के लिए एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को परामर्शी जारी करें। (पैराग्राफ 8.3)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
23.	एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी की अवसंरचना तथा जनशक्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे ताकि ताकि क्षेत्राधिकारों में चल रही परियोजनाओं की ईसी शर्तों की उचित निगरानी कर सकें। (पैराग्राफ 8.6)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।

अनुबंध IV
(पैराग्राफ संदर्भ :2.2)
ईआईए प्रक्रिया की समय सीमा का पालन

संदर्भ की शर्तें की मंजूरी में विलम्ब

तालिका 1: संदर्भ की शर्तें की मंजूरी में विलम्ब

ईएसी[38]	60 दिनों की निर्धारित सीमा के अन्दर टीओआर अनुदान पाने वाली परियोजनाएं	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	10	9	10	3	0
2. उद्योग	4	9	10	7	4
3. गैर कोयला खनन	8	5	8	8	5
4. निर्माण	इस मामले में टीओआर लागू नहीं था				
5. अवसंरचना विकास	2	10	14	6	1
6. नदी घाटी तथा जलविधुत	1	3	0	1	1
7. ताप विधुत	3	11	18	8	1
जोड़	**28**	**47**	**60**	**33**	**12**
चयनित मामलों का %	**18**	**22**	**28**	**15**	**6**

[38] 7 कोयला खनन को टीओआर के लिए छूट प्राप्त थीं क्योंकि ये विस्तार परियोजनाएं थीं । 3 गैर कोयला खनन, 5 अवसंरचना तथा 1 नदी घाटी के संबंध में विलम्ब परिकलित नहीं किया जा सका क्योंकि टीओआर की फाइलें मिल नहीं रही थीं।

तालिका 2: अंतिम ईआईए रिपोर्ट की समीक्षा में विलम्ब

ईएसी[39]	परियोजनाएं जहाँ अंतिम ईआईए रिपोर्ट की समीक्षा 30 दिनों की समय सीमा के अन्दर की गई थी	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	9	4	3	4	1	1
2. उद्योग	9	11	6	1	0	0
3. गैर कोयला खनन	3	8	17	1	0	0
4. भवन/निर्माण	6	2	10	2	0	0
5. अवसंरचना विकास	8	8	7	0	0	0
6. नदी घाटी तथा जलविधुत	1	1	3	1	0	0
7. ताप विधुत	38	3	0	0	0	0
जोड़	**74**	**37**	**46**	**9**	**1**	**1**
चयनित मामलों का %	**34**	**17**	**21**	**4**	**1**	**1**

[39] 17 कोयला खनन, 8 गैर कोयला खनन,7 औद्योगिकी, 15 अवसंरचना और 1 नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में विलम्ब परिकलित नहीं किया जा सका क्योंकि ईएसी के सदस्यों को अंतिम ईआईए रिपोर्ट तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के संचार की तारीख फ़ाइल में पाई नहीं गई थी।

तालिका 3: ईएसी द्वारा आवेदन के मूल्यांकन में विलम्ब

ईएसी[40]	परियोजनाएं जहाँ ईएसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया गया था।	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	7	2	5	9	9	7
2. उद्योग	12	5	8	3	4	2
3. गैर कोयला खनन	7	3	13	3	8	1
4. भवन/निर्माण	12	2	0	4	2	0
5. अवसंरचना विकास	9	2	8	2	4	2
6. नदी घाटी तथा जलविधुत	2	0	1	0	1	2
7. ताप विधुत	33	2	2	4	0	0
जोड़	**82**	**16**	**37**	**25**	**28**	**14**
चयनित मामलों का %	**40**	**7**	**17**	**12**	**13**	**6**

[40] दो कोयला खनन, 11 अवसंरचना तथा 1 नदी घाटी परियोजना में विलम्ब निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज़ फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

तालिका 4: सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी की सिफ़ारिशें रखने में विलम्ब

ईएसी[41]	परियोजनाएं जहाँ ईएसी की सिफ़ारिशें 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अंदर अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी गई थी।	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	5	11	16	6	1	0
2. उद्योग	0	22	10	2	0	0
3. गैर कोयला खनन	0	5	10	10	7	1
4. भवन/निर्माण	4	4	10	2	0	0
5. अवसंरचना विकास	0	7	21	6	0	0
6. नदी घाटी तथा जलविधुत	0	0	2	3	1	0
7. ताप विधुत	5	5	19	9	2	1
जोड़	**14**	**54**	**88**	**38**	**11**	**2**
चयनित मामलों का %	**6**	**25**	**41**	**18**	**5**	**1**

[41] 4 गैर कोयला, 4 अवसंरचना तथा 1 नदी घाटी परियोजना में विलम्ब निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

तालिका 5: ईएसी की सिफ़ारिशों की प्राप्ति और आवेदक को अपना निर्णय सूचित करने में विलम्ब

ईएसी[42]	परियोजनाएं जहाँ ईएसी की सिफ़ारिशें तथा एमओईएफ एण्ड सीसी का निर्णय 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचित किया गया था।	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	11	9	13	5	1	0
2. उद्योग	5	8	16	4	1	0
3. गैर कोयला खनन	2	5	11	8	8	2
4. भवन/निर्माण	5	4	6	3	1	1
5. अवसंरचना विकास	1	10	12	11	0	0
6. नदी घाटी तथा जलविधुत	0	0	3	0	3	0
7. ताप विधुत	13	8	11	5	3	1
जोड़	**37**	**44**	**72**	**36**	**17**	**4**
चयनित मामलों का %	**17**	**20**	**33**	**17**	**8**	**2**

[42] 1 गैर कोयला, 3 अवसंरचना तथा 1 नदी घाटी परियोजना में विलम्ब निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

तालिका 6: आवेदकों को ईसी सूचित करने में विलम्ब

ईएसी[43]	परियोजनाएं जहाँ ईसी 105 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अन्दर आवेदक को सूचित की गई थी।	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	4	1	5	7	13	8
2. उद्योग	4	3	13	7	5	2
3. गैर कोयला खनन	1	0	4	10	10	9
4. भवन/ निर्माण	1	3	4	7	3	2
5. अवसंरचना विकास	4	2	6	12	7	4
6. नदी घाटी तथा जलविधुत	0	0	0	2	2	2
7. ताप विधुत	9	3	6	11	7	5
जोड़	**23**	**12**	**38**	**56**	**47**	**32**
चयनित मामलों का %	**11**	**6**	**18**	**26**	**22**	**15**

[43] 1 कोयला, 3 गैर कोयला, 3 अवसंरचना और 1 नदी घाटी परियोजना में विलम्ब निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

अनुबंध V
(पैराग्राफ संदर्भ:2.13)
ईसी शर्तों की असमानता

असम्भाव्य/अकार्यन्वीय शर्तों के मामले नीचे विशेष उल्लिखित है:

1. बिहारः

ताप क्षेत्र		
मानक शर्त	**मैं. नबीनगर पावर जेनरेशन कंपनी लि. का नबीनगर एसटीपीपी**	**मैंका कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कांति बिजली उत्पादन लि.**
कोयला में राख मात्रा अधिकतम 34% और सल्फर मात्रा 0.5% होगी (अधिकतम)	ईसी के अनुसार कोयला में राख मात्रा अधिकतम 34% तथा सल्फर मात्रा 0.5% होगी (अधिकतम)	ईसी के अनुसार कोयला में राख मात्रालगभग 41% और सल्फर की मात्रा 0.15 % होगी ।
विविक्त उत्सर्जन 50 एमजी/ एनएम3 से अधिक ना हो	विशेष शर्त (IV) के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विविक्त उत्सर्जन 50 एमजी/ एनएम 3 से अधिक ना हों, उच्च क्षमता इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीप्रिटेटर्स(ईसपीएस) लगाये जायेंगे	विशेष शर्त सं (IV) के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विविक्त उत्सर्जन 100 एमजी/ एनएम 3 से अधिक ना हों, उच्च क्षमता इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीप्रिटेटर्स(ईसपीएस) लगाये जायेंगे ।

2. चंडीगढः

	निर्माण			अवसंरचना	निर्माण	
शर्त	**मैं.सीएसजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.का संघटित वाणिज्यिक परिसर**	**चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड की पुनर्वास योजना तथा जेनरल योजना**	**मैं. रियल टेक कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.के सिटी एम्पोरियम माल का निर्माण**	**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चंडीगढ़ हवाईअड्डे में नए यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण**	**मैं. भारती एयरटेल प्रा .लि.के आईटी/टेलिकॉम सेवाओं के कार्यालय का निर्माण**	**मैं. कुन्जल बिल्डर्स प्रा.लि.के डी एल एफ होटल सह सम्मलेन केन्द्र का निर्माण**
इसी शर्त लोड करना और परियोजना परिसरों में इनका प्रदर्शन करना (परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा)	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है|	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है|	ईसी पत्र में शर्त निर्दिष्ट है|	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है|	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है|	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है|
आतंरिक सडकों की चौड़ाई के संबंध में निर्माण चरण की शर्त	लागू नहीं	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है|	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है|	लागू नहीं	ईसी में प्रदत्त	ईसी में प्रदत्त

3. झारखण्डः

	कोयला खनन			
शर्तें	**120 एम डब्लू कोयला आधारित टाटा पॉवर की पीपी विस्तार ईकाई**	**सेंट्रल कोल लि. की टोपा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना**	**झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की विस्तार ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना (सिकनी)**	**सेंट्रल कोल लि.की अशोका ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना**
पर्यावरण विवरण, वर्षा जल संचयन के प्रस्तुतीकरण तथा प्रदूषक तत्वों का गैर प्रदर्शन	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं

4. महाराष्ट्रः

	उद्योग		
शर्तें	**थाल अमोनियम संयंत्र की अड़चने दूर करना (मैं. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड)**	**सीमेंट संयंत्र का विस्तार और केप्टिव पॉवर प्लांट (मैं मानिकगढ़ सीमेंट)**	**विसाका इंडस्ट्रीज**
सीटीओ /सीटीई प्राप्त करना	शर्त नहीं	शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट
प्रवेश द्वार पर पर्यावरणीय प्रांचलों का प्रदर्शन	शर्त निर्दिष्ट	शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट
रोपण कार्यों हेतु वन विभाग के साथ परामर्श	शर्त नहीं	शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट
घरेलू बहिस्त्राव सेप्टिक टैंक उसके बाद सोक पिट में संसाधित किया जायेगा|	शर्त निर्दिष्ट	शर्त निर्दिष्ट	शर्त नहीं

	कोयला खनन		
शर्तें	**निज्जल ओपन कास्ट कोयला खनन विस्तार परियजना (मैं. वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड)**	**नैगानओपन कास्ट कोयला खनन विस्तार परियजना (मैं. वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड)**	**गौरीदीप ओपन कास्ट कोयला खनन विस्तार परियजना (मैं. वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड)**
वर्तमान कुओं तथा न्यूजीमीटर के निर्माण का नेटवर्क स्थापित कर भूजल स्तर तथा गुणवत्ता निगरानी की जायेगी	ईसी में कोई शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट	शर्त निर्दिष्ट
यदि निगरानी जल स्तर में कमी को दर्शाती है तो भूजल संसाधनों को बढाने के लिए कृत्रिम भूजल रिचार्ज उपाय	ईसी में कोई शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट	शर्त निर्दिष्ट
पर्याप्त क्षमता के सीएचपी में उच्च क्षमता बैग फिल्टरों के साथ क्रशर प्रचलित किए जायेंगे, क्रशिंग प्रचालनों, कन्वेयर सिस्टम, कर्षण सड़कों, स्थानातरण केन्द्रों आदि के पलायन उत्सर्जन रोकने के लिए वाटर स्प्रिन्केलसिस्टम मुहैया किए जायेंगे	शर्त निर्दिष्ट	शर्त निर्दिष्ट	ईसी में कोई शर्त नहीं

	निर्माण		
शर्तें	**प्राइड सॉफ्ट हिंदी परियोजना (मैं. प्राइड बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड)**	**रिलिन प्रईवेट आईटी पार्क (मैं. रिलिन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड)**	**लवासा सिटी (मैं. लवासा कार्पोरेशन लिमिटेड)**
ईएसआर/व्यय के अंतर्गत कार्यकलाप का अलग लेखा रखना	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं

5. मेघालय

	उद्योग	उद्योग	निर्माण	ताप	अवसंरचना	गैर कोयला खनन
शर्तें	**फैरो सिलिकॉन संयंत्र**	**फैरो अलॉय संयंत्र**	**शिल्लोंग होटल**	**ताप विद्युत संयंत्र**	**एन एच 44 की 4/6 लेनिंग तथा सेनेटरी**	**माउमलुह लाइम स्टोन**
पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए चिह्नित निधियों को अलग रखना	ईसी में शर्त नहीं	शर्त लगाई	ईसी में शर्त नहीं	ईसी में शर्त नहीं	ईसी में शर्त नहीं	शर्त लगाई
पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए निधियों का प्रावधान	शर्त लगाई	शर्त लगाई	शर्त लगाई नहीं गयी थी	शर्त लगाई नहीं गयी थी	शर्त लगाई	शर्त लगाई नहीं गयी थी
लोक क्षेत्राधिकार में सुविधाजनक स्थान पर नाजुक प्रदूषक स्तरों का प्रदर्शन	शर्त लगाई	शर्त लगाई	शर्त लगाई	शर्त लगाई	ईसी में अनुबद्ध नहीं	ईसी में अनुबद्ध नहीं
बाढ़ संकट से संयंत्र की सुरक्षा और जीरो बहिस्त्राव विसर्जन	ईसी में शर्त लगाई	ईसी में शर्त नहीं लगाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. मिजोरमः

	उद्योग	
शर्तें	**आयल इंडिया लिमिटेड का अन्वेषणत्मक भेदन**	**तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का एनइएलपी -III में तेल तथा गैस का अन्वेषणत्मक भेदन**
उपरी मिट्टी को हटाना	ईस ईसी में शामिल नहीं	ईसी में शामिल

7. राजस्थानः

	गैर-कोयला खनन	गैर कोयला खनन	गैर कोयला खनन	गैर कोयला खनन
शर्तें	**मैं. एपेक मिनरल इंडस्ट्रीज की काग्मादर सोपस्टोन खनन परियोजना (राजसमंद)**	**मैं. राजेन्द्र प्रसाद की सोनारिया सोपस्टोन खनन परियोजना (उदयपुर)**	**मैं. ठेकेदार रविन्द्र भारद्वाज की सैंडस्टोन खान**	**मैं. ठेकेदार सुनैना शर्मा की सैंडस्टोन खान**
वर्षा जल उपायों का कार्यान्वयन	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल
कंपनी के निदेशक बोर्ड को निगम पर्यावरण उत्तरदायित्वके लिए नीति के प्रस्तुतीकरण के संबंध में शर्तें शामिल न करना	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल नहीं

8. कर्नाटक

शर्तें	**मैं. रामकी एनवीरों इंजीनियरस लिमिटेड की संघटित ठोस अपशिष्ट परियोजना**	**मै. पैरामाउंट विजेता होल्डिंगस के आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण**	**मैं साई अमरुथा फार्मा की बल्क डग तथा मध्यवर्ती विनिर्माण यूनिट**	**मैं. सनविक स्टील्स का स्पंज आयरन प्लान**	**मैं. एनएचआई 17 का कुण्डपुरा/ सुरथकल स्ट्रेच का 4/6 लेनिंग**
इएमपी के लिए अलग लेखा बनाना	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं

शर्तें	मै. एनएसएसके बीजापुर चीनी संयंत्र का विस्तार	मैं. एमएमएल, बागलकोटे की डोलेमाईट	मैं. विकाट सागर का सीमेंट संयंत्र	मैं. निगरानी सुगर्स की शीरा आधारित डिस्टिलरी	मैं, साईं अमरूथा फार्म की बुलक डग तथा मध्यवर्ती विनिर्माण यूनिट	मैं. केएनएनएल की श्री रामेश्वर लिफ्ट इरिगेशन योजना	मैं. एमआरपीएल का पोलोप्रप्लिन संयंत्र जोडकर विस्तार	मैं. एनएचएआई 17 का कुण्डपुरा सुराथकल स्ट्रेच का 4/6 लेनिंग
ईएसआर लागत का विनिर्देशन न करना	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं

शर्तें	मैं. एनएसएस बीजापुर चीनी संयंत्र का विस्तार	मैं. रामकी एनवीरों इंजीनियर्स लिमिटेड की संघटित ठोस अपशिष्ट परियोजना	मैं. एसएलआर मेटालिक्स बेल्लारी का सिंटर संयंत्र सहित पिग आयरन परियोजना	मैं.केएनएनएल की श्री रामेश्वर लिफ्ट इरीगेशन योजना	मै. एनएचएआई 17 का कुण्डपुरा सुराथकल स्ट्रेच का 4/6 लेनिंग
वर्षा जल संचयन संरचना का प्रतिस्थापन	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं

9. पश्चिम बंगाल:

	कोयला खनन	कोयला खनन	कोयला खनन	कोयला खनन
शर्तें	**शंकरपुर यू/जी कोयला खान परियोजना**	**बंसरा कोयला खान**	**सोनपुरबजारी ओसीपी**	**मोहनपुर ओसीपी**
धंसान भविष्यवाणी प्रतिरूपण	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं
भारी धातुओं पर निगरानी डाटा	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	-
ओ पी उम्प का निर्णायक ढल	लागू नहीं	लागू नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल
भूजल निगरानी ढाल	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल नहीं

अनुबन्ध VI
(पैराग्राफ संदर्भ : 7.6)
आरओ द्वारा देखे गए गैर-अनुपालन

विशेष शर्तें	सामान्य शर्तें
• फ्लाई ऐश के उपयोग के वर्षवार ब्यौरे नहीं बनाए गए थे और फ्लाई ऐश ईटों का उपयोग न करना	• विकसित हरित पट्टी क्षेत्र अनुबद्ध 33 प्रतिशत से काफी कम होते प्रतीत हुए है और हरित पट्टी के विकास/रोपण ब्यौरे बनाए नहीं गए थे।
• वर्षाजल संग्रहण विकसित करने की योजना के बारे में ब्यौरे और रीचार्ज प्रणाली स्थापित नहीं किए गए थे	• विद्युत संयंत्र के मुख्य द्वार पर एसओ तथा एनओ का प्रदर्शन न करना • एसटीपी आउटलेट तथा शोर स्तर
• भूजल गुणवत्ता की जांच करने के अलावा भूमि से जल निकालने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन/विस्तार नहीं लिया गया था	• ईएसआर कार्यकलापों का भौतिक तथा वित्तीय • परियोजना लागत और संघटक वार व्यय, प्रचालन की सहमति का नवीकरण न करना
• कृत्रिम भूजल रीचार्ज उपायों की विस्तृत योजना लागू नहीं की गई थी	• सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था के उपयोग की कार्य योजना • सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत बीमा पॉलिसी
• एसपीसीबी से एनओसी सहित सांविधिक प्राधिकरणों से निर्बाधन/अनुमोदन लिया नहीं गया	• सरकारी सीवर लाइन से जोड़ना • सीईटीपीजी की स्थापना की अनुसूची
• मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से लाइसेंस	• ठोस अपशिष्ट का संग्रहण
• वन भूमि के विपथन के बारे में सूचना प्रस्तुत न करना	• ठोस अपशिष्ट तथा एसटीपी संयंत्र आदि से गंध का निवारण
• राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन नहीं लिया गया।	• वित्तीय संवृत तथा अंतिम अनुमोदन की तारीख • गृह व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता थी
• श्रमिकों की समय समय पर स्वास्थ्य जांच और व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम की सूचना न भेजना/ श्रमिक कल्याण उपायों के बारे में कोई अभिलेख श्रमिकों को दिया नहीं जा रहा था	• कार्यस्थल पर सुरक्षा पहलुओं को पूर्णतया अनदेखा किया गया। • निर्मित क्षेत्र में परिवर्तन देखे गए थे • व्यय/ ईएसआर की गतिविधियों पर खर्च पर खर्च/ ईएमपी का आवंटित व्यय ईसी की विशेष शर्त के संदर्भ प्रस्तुत नहीं किया गया था
• नदी तथा खनन क्षेत्र के नजदीकी गावों से सतही जल गुणवत्ता की निगरानी आरम्भ नहीं की गई थी।	• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्मित ऊर्जा संरक्षण प्रतिमानों के समर्थक ऊर्जा संरक्षण उपायों पर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।
• विस्थापित जनसंख्या को वैकल्पिक भूमि नहीं दी गई थी।	• परिवेशी वायु गुणवत्ता के निगरानी केंद्र की स्थापना नहीं की गई थी।
• बड़ी ओपन कास्ट खानों के समकालिक परिचालन के प्रभावों की दीर्घावधि निगरानी और स्त्रोत विभाजन अध्ययन अभी भी किए नहीं गए थे।	• मिट्टी की गुणवत्ता तथा पेयजल की गुणवत्ता

विशेष शर्तें	सामान्य शर्तें
• खनित तथा सुधार क्षेत्रों के फोटोग्राफ का प्रस्तुतीकरण • तट बन्धों तथा माला नालियों के ब्यौरे • खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन तथा निपटान • भूरे तथा काले जल का पृथक्करण	• अनुमोदित निजी प्रयोगशाला द्वारा नवीनतम चिमनी उत्सर्जन निगरानी,परिवेशी वायु गुणवत्ता, खतरनाक अपशिष्ट, भूजल विश्लेषण तथा अनुमोदित प्राईवेट लेब द्वारा मिट्टी नमूना विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत न करना
• व्यापक ऊपरी क्षेत्र जलग्रहण संसाधन का अध्ययन, जल संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन • वनस्पतियों के लिए कार्ययोजना	• ठोस अवशिष्ट उत्पादन तथा डम्पिंग स्थानों से डम्प के ब्यौरे
• निम्नीकृत वन क्षेत्र की पहचान, भूजल स्तर की निगरानी, चल शौचालयों, एसटीपी का प्रावधान, गाद अध्ययन आदि	• प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से "स्थापना की सहमति" और "प्रचालन की सहमति" नवीकृत नहीं की गई थी और कुछ मामलों में प्राप्त भी नहीं की गई थी।
• कृषियोग्य बंजरभूमि की पहचान नहीं की गई थी और चारा खेती अथवा अन्य उचित उत्पादक बंजर भूमि का उपयोग नहीं किया गया था।	• शुष्क कोहरा प्रणाली/ कुहासा छिडकाव प्रबंध प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे जैसा अनुबद्ध किया गया।
• ट्रक/ लॉरी पार्किंग क्षेत्र में धूल दमन अपयार्प्त था और पार्किंग भी सीमेंटेड नहीं की गई थी।	• भूकम्पीय संकट पर अध्ययन न करना जैसा अनुबद्ध किया गया।
• ऊपरी मिट्टी प्रबंधन असंतोषजनक था।	
• कूड़ा करकट/ खोदी गई मिट्टी के निपटान के स्थान की सूचना दी नहीं गई थी।	
• पाइपलाइन के सुरक्षित प्रचालन और रिसाव खोज प्रणाली के लिए समर्पित आप्टीकल फाइवर आधारित दूरसंचार लिंक के साथ स्काड़ा प्रणाली का प्रतिष्ठापन न करना।	
• पृष्ठ भराव सम के ब्यौरे बनाए नहीं गए थे।	
• भारी धातुओं जैसे एचजी, पीबी, सीआर तथा एएस का विश्लेषण नहीं किया गया था जैसा अनुबद्ध किया गया।	

अनुबंध VII

(पैराग्राफ संदर्भः 8.5)

एसपीसीबीज को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

राज्य	हमारी आपत्तियाँ
1. आंध्र प्रदेश	तीन परियोजना प्रस्तावको ने एक बार भी छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और एक परियोजना प्रस्तावक वेदरक सयंत्र का विस्तार ने केवल एक बार प्रस्तुत की ।
2. असम	एक परियोजना मै० कैलाशपति सीमेंट (प्राइवेट) में छमाही अनुपालन केवल 2014 तक प्रस्तुत किया गया था।
3. बिहार	हमारी संवीक्षा में पता चला कि मैं० बालाजी तथा मैं० एनएचएआई ने कोई छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। अन्य छः प्रस्तावकों ने 1 जुलाई 2011 से 31 दिसम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान दस की आवश्यकता के प्रति एक से आठ बार के बीच अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
4. चंडीगढ	चंडीगढ हाउसिंग बोर्ड, मैं० रीयल टेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय विमान, पत्तन प्राधिकरण, भारती एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड तथा मैं० कुज्जल बिल्डर्स ने नियमित रूप से छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी तथापि अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए पिपीज के विरुद्ध सम्बंधित अधिकारियो द्वारा कोई करवाई नहीं की गई थी।
5. दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव	पाँच परियोजनाओं में से चार (मैं० आलोक, मैं० जेबीएफ़, मैं० पीसीएल, मैं० सनाथन ने सभी वर्षों के लिए सुसंगत कार्यालय को छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परियोजना ने जून (मैं० लिमिटेड परफेक्ट फिलामेंट) ने जून 2011 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि के लिए कोई भी छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।
6. गुजरात	हमने देखा कि एन आर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात ईको टैक्सटाईल पार्क, मैं० गुरु नानक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, मैं० जेके पेपर्स लिमिटेड, मैसर्स, सवला कैमिकल्स लिमिटेड, मैसर्स शंकूज फार्मास्यूटिकल्स, मैं० गुजरात अम्बूजा एक्सपोर्टस लिमिटेड तथा मैसर्स मैटरेन लिमिटेड ने छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।
7. हरियाणा	पाँच मामलो (आईओसीएल द्वारा पानीपत शोधनशाला में इमल्सन स्टाइरिन प्रतिष्ठान, दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, रोहतक में सीसा संसाधन यूनिट, गारमेंट लेदर डाईंग तथा फीनिशंग यूनिट बहादुरगढ, जिला झज्जर, फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग घरोंदा, करनाल का विस्तार) में छमाही अनुपालन रिपोर्ट एसपीसीबी को एक बार भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। सीपीसीबी तथा उसके क्षेत्रीय कार्योलयों 12 पीपीज में निर्धारित तारीख पर नियमित रुप से छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

राज्य	हमारी आपत्तियाँ
8. हिमाचल प्रदेश	निर्धारित अनुसूची के अनुसार परीक्षित परियोजनाओ के पीपीज द्वारा छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी । जी सिटी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट ने उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि परियोजना अगस्त 2010 से रोक दी गई थी। एग्जिट कान्फ्रेंस में प्रधान सचिव ने बताया की पीपीज को भविष्य में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा।
9. जम्मू एण्ड कश्मीर	एक पीपी (आईओसीएल) ने एसपीसीबी, एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों को छमाही अनुपालन रिपोर्ट कभी प्रस्तुत नहीं की थी जे के सीमेंट के लाईमस्टोन खान सेफ्को सीमेंट लिमिटेड तथा ट्राम्बू सीमेंट इंडस्ट्री ने एक छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
10.झारखण्ड	एक परियोजना (सिकनी कोयला खान) 2012-2015 के दौरान आयोजित छ रिपोर्टो के प्रति जनवरी 2014 में केवल एक बार छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।
11.केरल	उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक प्रस्तावक से देय दस अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट से मै० पुरावंकारा ने पाँच रिपोर्ट दाखिल की, मै० हीरा ने दो रिपोर्ट दाखिल की और मै० इन्फोसिस ने सात रिपोर्ट दाखिल की शेष पाँच परियोजनाओं से कोई अनुपालन रिपोर्ट नहीं मांगी थी। इसके अलावा मै० पुरावंकारा तथा मै० हीरा के संबंध में छमाही अनुपालन रिपोर्ट में अवधि को उल्लेखित नहीं किया गया था।
12.मध्य प्रदेश	एक परियोजना प्रस्तावक् मै० आर्यावृत हॉउसिंग कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड ने एक बार भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। दो परियोजना प्रस्तावको अम्बारा ओपन कास्ट और झरना भूजल खोज परियोजना, मै० डब्लूसीएल, छिंदवाडा ने अपनी रिपोर्ट 24 से 48 महीनो के बीच विलम्ब से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अन्य दस मामलों में विलम्ब एक से चार माह के बीच था। नौ मामलो में प्रस्तुतीकरण आवर्तक थे।
13.महाराष्ट्र	26 परियोजना में से तीन (किरलोस्कर फैरस इंडस्ट्रीज, लायड कोल वासरी तथा पतगोवरी डोलोमाईट खान) के लिए किसी प्राधिकरण को छमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।
14.मेघालय	चार परियोजनाओं यथा सिलोंग होटल, सैनिटरी लैण्डफिल, फैरो सिलिकॉन प्लांट और मावमलुह लाईमस्टोन माईन के मामलो में अनुपालन रिपोर्ट अप्रैल से सितम्बर और अक्तूबर से मार्च को समाप्त अवधि को लिए प्रस्तुत की गई थी और अधिसूचना में प्रावधान के अनुसार एक जून तथा एक दिसम्बर को नहीं जो अनियमित था। एमओईएफएण्डसीसी तथा आरओ द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही नहीं की गई थी कि पीपीज ने यथाअनुपद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दो परियोजना (मेघालय पावर लिमिटेड, पीपी तथा सैनिटरी लैण्डफिल) के मामलो में दस अनुपालन रिपोर्ट के बजाए पीपीज ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एओईएफएण्डसीसी ने अनुपालन रिपोर्ट के अनियिमित प्रस्तीकरण पर की कार्यवाही नहीं की थी।

राज्य	हमारी आपत्तियाँ
15.ओडिशा	एनएच 6 के सम्बलपुर बरगढ़ खंड का लेनिंग परियोजना ने छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी जबकि रेजीडेन्शयल हाउसिंग काम्पलैक्स शंकरपुर, परियोजना मामलों में परियोजना प्रस्तावक ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।
16.पंजाब	केवल दो पीपीज (तलवंडी सालो पावर लिमिटेड मनसा तथा भटिंडा की डिस्टिलरी यूनिट) ने नियमित रुप से अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाँच परियोजनाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। और 2 से 6 रिपोर्टो के बीच कमियां पाई गई। एक पीपी (अमृतसर एयरपोर्ट ने) एमओईएफएण्ड सीसीई को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। जवाब मार्च 2008 में जारी किया गया था।
17.राजस्थान	पीपीज द्वारा प्रस्तुत सुचना अभिलेखों कि संवीक्षा से पता चला कि 18 चयनित परियोजना में से छः परियोजना में रिपोर्ट भेजी नहीं गई थी और दो परियोजनाओ में छमाही अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी नहीं गई थी।
18.तमिलनाडु	पाँच पीपीज ने अपनी विवरणियां समय पर प्रस्तुत कि थी, को पीपी ने को अस्थाई रुप से प्रस्तुत की और सभी अर्धवार्षिक अवधि के लिए नहीं। जबकि सात अन्य पीपीज ने अपने विवरणियां आवधिक रुप से प्रस्तुत नहीं कि थी। एक पीपी के संबंध में यद्यपि यह कहा गया था कि विवरणियां प्रस्तुत कि गई थी परन्तु प्रतियां टीएनपीसीबी अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी।
19.तेलंगाना	सभी चार पीपीज ने नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।
20.उत्तर प्रदेश	11 परियोजनाओं में से चार परियोजना प्रस्तावकों ने एक बार भी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। दो अन्य मामलो (शीरा आधारित 75 केएलपीडी तथा मै० पार्शवनाथ प्लेनेट) में पीपीज अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अनियमित थे।
21.उत्तराखण्ड	कोशी नदी से छोटे खनिजो का संग्रहण, रामनगर, जाखान 2, भारत ऑयल और अपशिष्ट प्रबंधन लिमिटेड, मै० लोटस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, मै० ओमेक्स लिमिटेड, कालकाजी, नई दिल्ली और मै० गामा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, पीपीज ने छमाही अनुपालन रिपोर्ट नियमित रुप से और समय से प्रस्तुत नहीं की थी।

संकेताक्षर

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
बीओडी	बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग
सीएटी	जलग्रहण क्षेत्र उपचार
सीबीडी	जैव विविधता पर सम्मेलन
सीईपीआइ	व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक
सीजीडब्ल्यूएल	केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
सीएचपी	संयुक्त ताप तथा शक्ति
सीओडी	रासायनिक ऑक्सीजन की मांग
सीपीए	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र
सीपीसीबी	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीपी	सह उत्पादन विधुत संयंत्र
सीआरजैड	तटीय विनियमन क्षेत्र
सीएसआर	निगम की सामाजिक जिम्मेदारी
सीटीई	स्थापित करने के लिए सहमति
सीटीओ	प्रचालन करने के लिए सहमति
डीएफओ	जिला वन अधिकारी
ईएसी	विशेषज्ञ आंकलन समिति
ईसी	पर्यावरणीय अनापत्ति
ईएफ	पर्यावरणीय बहाव
ईआईए	पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया
ईएमपी	पर्यावरण प्रबन्धन योजना
ईएसआर	उधम सामाजीक उत्तरदायित्व
ईटीपी	अपशिष्ट उपचार संयंत्र
एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
जीओआई	भारत सरकार
जीपीपी	गैस संसाधन संयंत्र
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
केएलपीडी	किलोलीटर प्रतिदिन
केवीए	किलोवोल्ट एमपीयर
एमओईएफएण्डसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
एमटी	मीट्रिक टन
एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
एमटीपीएम	मिलियन टन प्रति माह
एमडबल्यू	मेगावाट
एनएबीईटी	राष्ट्रीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड
एनईएमए	राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनटीपीसी	एनटीपीसी लिमिटेड
ओबी	अधिभार
ओसीपी	खुली खदान
ओएचएस	व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी
पीपी	परियोजना प्रस्तावक
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण
आरएण्डआर	राहत एवं पुनर्वास
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
एसईएसी	राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
एसईआईएए	राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
एसईएमए	राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण
एसजीडबल्यूबी	राज्य भूमि जल बोर्ड
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एसटीपी	मलजल उपचार संयंत्र
टीडीएसएफ़	उपचार, भंडारण और निपटान की सुविधा
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीपीडी	टन प्रति दिन
टीपीपी	ताप विधुत संयंत्र
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
यूटीपीसीसी	केंद्र शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण समिति
डबल्यूक्यूएम	जल गुणवत्ता निगरानी
जैडएसआई	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण